मेसर्स लाफार्ज इंडिया प्राईवेट लिमिटेड, द्वारा ग्राम–अरसमेटा, पोस्ट ऑफिस–गोपालनगर, जिला–जांजगीर–चांपा में प्रस्तावित क्षमता विस्तार के तहत् (क्लिंकर 1.6 एमटीपीए से 3.2 एमटीपीए) एवं सीमेंट 2.2 एमटीपीए से 4.8 एमटीपीए के के लिए भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली से पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु दिनांक 30.11.2012 को ग्राम–अमोरा के संपन्न लोक सुनवाई की कार्यवाही विवरण

भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की ई0 आई0 ए0 अधिसूचना 14.09. 2006 के अंतर्गत् मेसर्स लाफार्ज इंडिया प्राईवेट लिमिटेड, द्वारा ग्राम–अरसमेटा, पोस्ट ऑफिस–गोपालनगर, जिला–जांजगीर–चांपा में प्रस्तावित क्षमता विस्तार कार्यक्रम के तहत् (क्लिंकर 1.6 एमटीपीए से 3.2 एमटीपीए) एवं सीमेंट 2.2 एमटीपीए से 4.8 एमटीपीए के लिए, भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली से पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए छ0ग0 पर्यावरण संरक्षण मंडल में लोक सुनवाई हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र के परिपेक्ष्य में डिप्टी कलेक्टर, कार्यालय कलेक्टर, जिला–जांजगीर–चांपा द्वारा जन सुनवाई हेतु निर्धारित तिथि दिनांक 30.11.2012, को शासकीय प्राथमिक शाला ग्राम–अमोरा, जिला–जांजगीर–चांपा मे श्री एम0 डी0 दीवान, अपर कलेक्टर, जिला–जांजगीर–चांपा की अध्यक्षता एवं बी0 एस0 ठाकुर, क्षेत्रीय अधिकारी, छ0ग0 पर्यावरण संरक्षण मंडल, बिलासपुर की सहभागिता में लोक सुनवाई प्रारंभ की गई।

अपर कलेक्टर, श्री एम. डी. दीवान द्वारा उपस्थित जन समुदाय, जन प्रतिनिधियो तथा इलेक्ट्रानिक मीडिया के प्रतिनिधियों का हार्दिक अभिनंदन करते हुए जन सुनवाई के महत्व एवं उदेश्य पर प्रकाश डालते हुए लोक सुनवाई के संबंध में छ0ग0 पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा अभी तक की गई कार्यवाही से जनसामान्य को अवगत कराते हुये लोक सुनवाई प्रारंभ करने की विधिवत घोषणा की गई साथ ही यह व्यवस्था दी गई कि लोक सुनवाई में सभी इच्छुक वक्ताओं को अपनी राय, सुझाव, विचार तथा आपत्तियां रखने के लिए पूरा–पूरा अवसर दिया जावेगा तथा सभी वक्ताओं के बोलने के पश्चात् ही लोक सुनवाई की कार्यवाही संम्पन्न की जावेगी। यह भी समझाईश दी गई कि जब वक्ता अपना वक्तब्य दे रहे हो तो उस समय कोई अन्य व्यक्ति व्यवधान न डाले व कोई टीका टिप्पणी न करें, तथा शांति व्यवस्था बनाई रखी जावें। यह भी

This document was created using Smart PDF Creator
To remove this message, purchase the product at www.SmartPDFCreator.com

बताया गया कि जो कोई व्यक्ति लिखित में अपना विचार, सुझाव, सहमति व आपत्ति आदि देना चाहे तो वे दे सकते है। ऐसे लिखित में प्राप्त सुझाव, विचार, टीका–टिप्पणियां की अभिस्वीकृति छ0ग0 पर्यावरण संरक्षण मंडल, के क्षेत्रीय कार्यालय, बिलासपुर के अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा दी जावेगी तथा उसे अभिलेख में लाया जावेगा।

इसके पश्चात् अपर कलेक्टर, एवं क्षेत्रीय अधिकारी, बिलासपुर द्वारा मेसर्स लाफार्ज इंडिया प्राईवेट लिमिटेड, द्वारा ग्राम–अरसमेटा, पोस्ट ऑफिस–गोपालनगर, जिला–जांजगीर–चांपा में प्रस्तावित क्षमता विस्तार के तहत् (क्लिंकर 1.6 एमटीपीए से 3.2 एमटीपीए) एवं (सीमेंट 2.2 एमटीपीए से 4.8 एमटीपीए) के संबंध में उद्योग प्रतिनिधि को सामान्य जानकारी के साथ पर्यावरणीय प्रभाव आंकलन की जानकारी से उपस्थित जन सामान्य को अवगत कराने का निर्देश दिया गया ।

मेसर्स लाफार्ज इंडिया प्राईवेट लिमिटेड, के डिप्टी जनरल मैनेजर श्री रवीन्द्र खम्परिया द्वारा प्रस्तावित क्षमता विस्तार के तहत् (क्लिंकर 1.6 एमटीपीए से 3.2 एमटीपीए) एवं (सीमेंट 2.2 एमटीपीए से 4.8 एमटीपीए) के संबंध में जन सामान्य को उद्योग एवं उद्योग से संभावित पर्यावरणीय स्थिति की जानकारी दी गई।

अपर कलेक्टर द्वारा प्रस्तावित क्षमता विस्तार के तहत् (क्लिंकर 1.6 एमटीपीए से 3.2 एमटीपीए) एवं (सीमेंट 2.2 एमटीपीए से 4.8 एमटीपीए) के संबंध में पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु उपस्थित जन समुदाय से सुझाव, विचार, टीका टिपण्णी एवं आपत्तियां लिखित या मौखिक रूप से प्रस्तुत करने हेतु आमंत्रित किया गया। जन सुनवाई में आसपास के ग्रामीणों द्वारा प्रस्तावित क्षमता विस्तार के पर्यावरणीय जन सुनवाई में एक–एक कर अपना सुझाव, विचार, टीका टिपण्णी एवं आपत्तियां रखे। जन सामान्य द्वारा निम्नानुसार सुझाव, विचार, टीका टिपण्णी एवं आपत्तियां दर्ज कराई गई :–

1. **श्री लखन लाल टंडन, ग्राम सोनसरी**– लाफार्ज में ये जो तीसरे नंबर का मिल था। वो पहले भी लगा हुआ था। उसको यहां से दूसरे जगह ले गया। उसी मिल को बैठालना हैं यहां उसमे कोई अपात्ति इसलिए नहीं है। कि सन् 1979

This document was created using Smart PDF Creator
To remove this message purchase the product at www.SmartPDFCreator.com

से प्लांट यहां लगा हुआ है। सन् 1970–72 में इतना अकाल यहां पड़ता था। बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता था, क्योकि अकाल का समय था। जब से यह प्लांट खुला हैं प्लांट खुलने से नौकरी मिली है। तरक्की हुई है, गांवों का विकास हुआ है, आसपास के सड़क का निर्माण, तालाबो का गहरीकरण, माताचौरा मंदिर इत्यादि विकास कार्य किये है। हमे मिल बैठाने में कोई आपत्ति नहीं है।

2. **श्री बी.पी. साव, ग्राम–खूटीघाट–** क्षमता विस्तार के तहत् बढाकर 1.6 मिलियनटन/वर्ष से 3.2 मी. टन वर्ष तथा सीमेंट उत्पादन 2.2 से 4.8 मिलियन. टन/वर्ष के लिए कोई आपत्ति नहीं है। आज से 33–34 साल वर्ष पूर्व तम्बू बनाकर लोग रहते थे। वहां हम लोगों को सिंचाई, नहर का साधन नहीं था। अकाल जैसी स्थिति रहती थी। उसी समय प्लांट खुला और आशा की किरण जगी। प्लांट के आने से आसपास का विकास हुआ, गांव का विकास वे लोग करते रहे। पर्यावरण प्रदूषण रोकने हेतु संयंत्र लगाये गये है। पहले प्रतिवर्ष 20–30 आई.टी.आई. बुक कर रखते थे। और अपने खर्चे में आईटीआई करवाकर अपने प्लांट में नौकरी लगवाते थे। वैसे ही अब भी नौकरी की व्यवस्था की जावे। निकट में कुटीघाट ग्राम के शाला में 500 छात्र–छात्राएं पढते है उसके लिए टायलेट की व्यवस्था की जाये।

3. **श्री रवि सिसोदिया, ग्राम–अकलतरा,–** लाफार्ज पैसा कमाके दूसरे देश चला जाता है लाफार्ज नाम कमाते है। विस्तार करने जा रहे है। उनका कहना है कि हम गांव में विकास कर रहे है यह बहुत गलत है ये कितने लोगों को रोजगार दिया है यह बताया जाये कितने ग्रामीणों की जमीन ली है ये बताये जाये और जिनकी जमीन ली गई है उन्हे सभी को रोजगार दिया है क्या? रेमण्ड ने जितने लोगों को रोजगार दिया था उसमें से कई लोगों को लाफार्ज ने काम से निकाल दिया है। लाफार्ज गारंटी दे जो आउटसोर्सिंग हो रही है ध्यान दिया जाये। पूरी वेतन नहीं दिया जा रहा है। सीएसआर के लिए कोई सिस्टम बने जिसमें सही दिशा में विकास कार्य हो लाफार्ज ने ऐसा क्या किया गया है जो कि कटघरे में जनसुनवाई की जा रही है। मै अपनी जमीन का कर्ज उतारने के लिए अपनी

This document was created using Smart PDF Creator
To remove this message purchase the product at www.smartPDFcreator.com

बात कह रहा हूॅ। प्रबंधन को चाहिए कि यहां के लोगों का ज्यादा सहानभूति पूर्वक बातों को समझेगा। रोजगार देता है या नहीं देता है झूठे वादा किया जा रहा है। वादाखिलाफी कार्य न करें। अपनी बातो पर कायम रहे।

4. **श्री सामेश्वर जैसवाल, ग्राम–अरसमेटा –** मैं लाफार्ज के विरूद्व कुछ नहीं बोलूंगा। अरसमेटा का सौभाग्य है कि हमारे गांव को विदेश में जाना जाता है। शासन प्रशासन की मदद से हमारे गांव के जो 200 लोगों के खड़ी फसल में बुलडोजर चलाया गया था। महोदय से निवेदन है कि हमारे गांव में जो लाफार्ज कंपनी द्वारा बुलडोजर चलाये गये भू–स्वामी को क्षतिपूर्ति एवं मुआवजा एवं नौकरी दिया जाये। लेकिन 12 वर्ष हो गये कंपनी द्वारा क्षतिपूर्ति एवं मुआवजा एवं नौकरी नहीं दिया गया है।

5. **श्री बशी लाल सोनवानी, ग्राम–मुरलीडीह–** आदर्श ग्राम–अमोरा के रोगदा मोहल्ले के प्रांगण में जन सुनवाई हो रही है। हम चाहते है कि संयंत्र का विस्तार हो । पहले संयंत्र यहां स्थापित था उसे विस्थापित किया गया था। उसी स्थल पर यह विस्तारित संयंत्र लगाया जा रहा है। संयंत्र में विसंगति हुई है। प्रभावित किसानों के साथ अन्याय किया गया है या न्याय किया गया है। आप के द्वारा छलावा किया गया है। यहां मै कुछ दिनों तक काम किया हूॅ। संयंत्र विस्तार के लिए कोई आपत्ति नहीं है। स्थानीय ग्रामीणों को रोजगार दिया जाये। संयंत्र पर प्रदूषण नियंत्रण हेतु अच्छे किस्म के उपकरण लगाया जाये। प्लांट में ध्वनि प्रदूषण होता है। ग्रामविकास की बात है तो पूर्व में जे0 के0 ट्रस्ट द्वारा गौ रक्षक का कार्य किया है। उसका लाभ मिला है। 10 प्रतिशत ग्राम विकास की ओर ध्यान दिया जावें। पूर्व में कोई विकास कार्य नहीं किया गया है। केवल रेमण्ड के द्वारा वृक्षारोपण किया गया हैं। उसकी सुरक्षा करें और दूरदराज के गांव में भी सघन वृक्षारोपण किया जाना चाहिए। ऐसा कार्य योजना बनाया जाना चाहिए। विस्तार में कोई आपत्ति नहीं है। हम प्रभावित गांव है जहां तक इनका तकाजा हमें मिलता हैं हम दुःख झेलते हैं हम सहयोग देते आ रहे हैं वहां तक के ये अपना पांव पखारेंगे और बेहतर सेवा देंगे।

This document was created using Smart PDF Creator
To remove this message purchase the product at www.smartpdfcreator.com

6. **श्री महेन्द्र कुमार दुबे, ग्राम–अमोरा–** लाफार्ज का जो आज जन सुनवाई रखा गया है। यहां जो सीमेंट मिल लगाया जाना है। उसका मैं हार्दिक बधाई देना चाहता हूॅ। मैं अपने अमोरा ग्राम के बारे में बोलना चाह रहा हूॅ अमोरा में सन 1977 में लाफार्ज का आगमन हुआ उस समय अमोरा का स्थिति बहुत दयनीय थी चाहे सोनसरी हो, नरियरा, परसदा उसकी स्थिति इतनी खराब थी कि आदमी रोजी रोटी के लिए 2 रू. मिलना मुश्किल था। न लाफार्ज था न रोजगार था। फैक्ट्री खुला उस दिन से हमारे गांव के आस पास का विकास हुआ। अमोरा में सन 1977 मे 4000 का आबादी लेकिन 05 वीं से आगे पढ़ने वाले कोई भी व्यक्ति नहीं था इतना बेरोजगारी थी और आज भी शिक्षा के क्षेत्र में अमोरा पीछे है। 10 आदमी बता दे कि मैं मैट्रिक पास हूॅ। उसका कारण था चारों तरफ नाला बीच में टापू जैसा अमोरा। 4 माह तक वहां का आदमी निकल नहीं पाता था। तो पढाई कहां से करें। जिस दिन से लाफार्ज फैक्ट्री खुला है अमोरा के विकास में परिवर्तन हुआ है। हमारे बच्चे पढ़ने के लिए आगे बढ़े हैं। लाफार्ज की देन है कि हमारे बच्चे इंगलिंश मीडियम में पढ़ रहे है। परीक्षा देने जाने के लिए हमारे बच्चे बिलासपुर लाफार्ज के बस से जाते है। यह कंपनी का सहयोग है। हमारे पंचायत में सिलाई कढ़ाई, कम्प्यूटर प्रशिक्षण और सभी को सिलाई सीखने के लिए मशीन देते है। आज ये लड़कियां अपने पैर खड़ी है और अपने परिवार का परवरिश कर रहीं है। छत्तीसगढ़ में ऐसा कोई प्लांट नहीं है लाफार्ज के सिवाए। जहां शत प्रतिशत सभी लोगों को रोजगार दिया गया है। रेमण्ड के समय जिस आदमी का जमीन गया है उस परिवार के लोगों को 100 प्रतिशत रोजगार उपलब्ध कराया गया है। हर समुदाय के लिए भवनों का निर्माण किया गया है। जैसे हरिजन भाई, मोची भाई के लिए। सी.सी. रोड का निर्माण किया गया है। लाफार्ज कंपनी द्वारा ग्राम के विकास में आगे भी सहीं तरह से विकास करता रहे।

7. **श्री सुमित प्रताप सिंग ग्राम–बनाहिल, उपसरपंच–** किरारी और चोरभट्ठी में इनकी माइंस है वहां से इनका लाईम स्टोन आयेगा। उत्पादन बढ़ेगा तो ट्रके भी बढ़ेंगी । इनके द्वारा हमारे ग्राम पंचायत बनाहिल की शासकीय भूमि, गौचर भूमि

में 3 कि.मी. लंबा रोड बिना ग्राम पंचायत के अनुमति से बनवा दिया गया है। 60 फीट चौंड़ा रोड़ है। दिन–रात परिवहन के कारण रोड़ से धूल उड़ता है। हमारे गांव के कुछ लोग बेरोजगार ड्रायवर की नौकरी मांगने आये थे। हम लोग जिनका जमीन लिये है उन्हीं लोग को नौकरी देंगे ऐसा कहकर नहीं दिये। मैं इस जन सुनवाई का विरोध करता हूॅ । जब तक हमारे गांव का विकास नहीं करता तब तक हम विरोध करते रहेंगे।

8. **श्री भागवत प्रसाद जायसवाल, ग्राम–अरसमेटा**– मेरे स्वामित्व की भूमि को लाफार्ज इंडिया लिमि. ग्राम–अरसमेटा, पो.–गोपालनगर द्वारा अधिग्रहण किया गया है। कंपनी द्वारा मेरे पुत्र को अस्थाई नियुक्ति दिया है उसे स्थायी नियुक्ति किया जाये या मेरे भूमि की लीज को निरस्त किया जाये।

9. **श्री धनेश कुमार गौड, ग्राम–किरारी**– हमारे ग्राम किरारी में लाफार्ज द्वारा माइंस संचालित है। अधिक भूमि वाले को नौकरी दिया जा रहा है। बहुत कम लोगों को नौकरी दिया है। किरारी के ग्रामीणों को अधिक से अधिक नौकरी दिया जाये ग्राम विकास में भी तेजी लायें । विस्तार परियोजना का समर्थन करता हूॅ।

10. **श्री राधे श्याम कश्यप, ग्राम–अमोरा**– कोई भी प्रगतिशील समाज किसी भी संयंत्र का विस्तार या लगाने का विरोध नहीं कर सकता है। जो अभी संयंत्र का उत्पादन दो गुना हो जायेगा। हमारे पेकिंग हाउस में जो कार्यरत लोडर क्लीनर हैं इनको काम मिलेगा। संयंत्र में जो काम करते हैं इसके अलावा अप्रत्यक्ष रूप से लोगों को रोजगार मिलता है। जैसे दुकानदार, ट्रांसपोर्टर, मजदूर जुड़ा होता है। क्षमता विस्तार संयंत्र का मै समर्थन करता हूॅ।

11. **श्री प्रवीण सिंग, अमोरा**– लाफार्ज इंडिया प्रा0 लि0, में ठेका श्रमिक के रूप में कार्य करता हूॅ। जैसा कि यहां पर आये कुछ लोगो द्वारा अपना समस्या रखी है। लाफॉर्ज प्रबंधन द्वारा विस्तार योजना के तहत् जन सुनवाई आयोजन किया गया है। मुझे बहुत अफसोस हो रहा है कि लाफार्ज प्रबंधन यह समझती है कि हम इस विस्तार योजना का विरोध कर रहे है। हमारा उद्देश्य ये नहीं है कि हम इस विस्तार योजना का विरोध करें। हम भी यही चाहते हैं कि रेमण्ड के समय जो विकास कार्य किया गया है। एवं रोजगार उपलब्ध कराया गया है वर्ष 2001

This document was created using Smart PDF Creator. To remove this message purchase the product at www.smartPDFCreator.com

के बाद लाफार्ज कंपनी द्वारा नही किया जा रहा है। कुछ समस्या को मै लिखित रूप से आवेदन कर रहा हूॅ उनके द्वारा लंबित प्रकरणों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। बोनस विसंगतियां है, नियमित कर्मचारी बहुत कम है, ठेका श्रमिक बहुत है उनके बीच वेतन एवं बोनस की विसंगतियां बहुत है। आसपास के ग्रामीण बेरोजगारों को रोजगार नहीं दिया जा रहा है। न्यूनतम वेतन भुगतान का जो नियम है उसका भी पालन नहीं किया जा रहा है। लोकल आदमियों को रोजगार क्यों नहीं दिया जा रहा है। क्षमता विस्तार का कोई मतलब नहीं रह जाता है। 200–250 एकड़ की खडी फसलो में बुलडोजर चला दिया गया। फसल नुकसान का न ही मुआवजा दिया और न रोजगार दिया गया। पहले से स्थापित संयंत्र को उखाड़ कर ले जाया गया और उसी को पुनः यहां क्यों लगाया जा रहा है ? इसका उत्तर दिया जाये। कितनो को रोजगार देगी, कितने को नौकरी देगी। हमें मना किया जा रहा था कि आप कुछ न बोले कंपनी मेरा काम बंद करा सकती है। जबकि रेमण्ड के समय स्थानीय लोगो को काम पर रखा जाता था। इन समस्याओं का निराकरण किया जाये तभी जन सुनवाई का मतलब होगा।

12. **श्री विजय प्रकाश शर्मा, ग्राम–अमोरा**– लाफार्ज गोपनीय रूप से कार्य कर सकता था लेकिन यह कार्य खुले रूप से कर रहा है। यह जन सुनवाई के लिए धन्यवाद के पात्र है। आज से 25–30 साल पहले यह निर्धन क्षेत्र था अविकसित इलाका था। रेमण्ड या लाफार्ज यहां स्थापित नहीं होता तो विकास नहीं होता। यह क्षेत्र निर्धन रह जाता। सचमुच अमोरा का विकास हुआ है। हायर सेकेण्डरी स्कूल स्थापित है। शिक्षा की बहुत अच्छी व्यवस्था की गई हैं 12 वी तक की शिक्षा तो यहां हो जाती है लेकिन आगे की पढाई के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। आज प्लांट की क्षमता बढा सकते है तो कॉलेज की स्थापना कम से कम महिला महाविद्यालय की स्थापना करें। जनसुनवाई के अंत में महाविद्यालय के स्थापना के संबंध में घोषणा करें। आबकारी बैंक (शराब भट्ठी) बंद कर राष्ट्रीकृत बैंक खोले जाये साथ ही आसपास के गांव का सतत् रूप से जल एवं वायु ध्वनि प्रदूषण की जांच किया जाये।

This document was created using Smart PDF Creator. To remove this message purchase the product at www.smartPDFcreator.com

13. **श्रीमती रूपकली, ग्राम–अमोरा –** प्लांट द्वारा मेरी जमीन ली गई है। तब से मैं भूख मर रही हूं। मेरे परिवार के सदस्य को संयंत्र में नौकरी दी जाये।

14. **श्री नवल किशोर सिंह, ग्राम–बनाहिल, पंच–** लाफार्ज विस्तार करना चाह रहा है। माइंस खत्म हो गया है। नई माइंस के लिए किरारी–चोरभट्ठी में नई जगह चुना है। अभी 70 गाड़ियां बनाहिल के कच्चा रोड़ पर चलती है तो वहां से बहुत धूल उड़ती है, जिससे बहुत लोग दमा जैसे बीमारी से ग्रसित हो रहे है जब विस्तार होगा तो क्या होगा? जब वहां 500 गाड़ियां चलेंगी तो प्रदूषण का क्या हाल होगा। पर्यावरण अधिकारी क्या कार्यवाही करेंगे। यह बताया जाये। यदि उस पर कार्यवाही होगा तभी अनुमति दिया जाये। जितने लोगों द्वारा जन सुनवाई का विरोध किया गया है। उसकी सीडी गांव के लोगो को प्रदान किया जाये। अगर प्रदूषण पर कार्यवाही होती है तो ठीक है ग्रामीणों को बताया जाये कि प्रदूषण के लिए क्या करेंगे अगर समस्या दूर होती है तो हम इसका समर्थन करते है।

15. **श्री केशव जोगी, ग्राम–मुरलीडीह–** लाफार्ज सीमेंट में एक और विस्तार संयंत्र लगाने का कार्यक्रम चल रहा है। लाफार्ज प्रबंधन है गांव के विकास के लिए खास करके पर्यावरण से संबंधित हैं। सड़के के किनारे–किनारे जो पौधे लगाये गये है। वो बहुत अच्छी बात है। वो हमारे लिए लगाया है हम उसका संरक्षण नहीं करते है। इसमें प्रबंधन का दोष नहीं है। उन्होंने ट्री गार्ड लगाये है। सड़क बन रही है। बहुत अच्छा है। इस गांव के बगल से जो उद्योग लग रहा है उनके द्वारा बहुत वृक्षो को काटा गया है। लाफार्ज द्वारा स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के अच्छा इंतजाम किये गये है। लेबर, कुली, इंजीनियर सभी लोग मिलकर काम करते है। विस्तार का हम समर्थन करते है।

16. **डॉ. जवाहर दुबे, पूर्व विधायक अकलतरा–** स्थानीय नवयुवको को इस प्लांट में रोजगार दिया गया। प्लांट के कर्मचारी जो रिटायर हो जाते है उनके बच्चो को रोजगार का लाभ दिया जाये। प्लांट के आसपास के गांवों में महंगाई बढ जाती है इस कारण प्लांट वाले गरीबों को ट्यूबवेल में, मकान बनाने में सहयोग दें।

This document was created using Smart PDF Creator To remove this message purchase the product at www.SmartPDFCreator.com

महिला समूह को ट्रेनिंग की व्यवस्था करके सहयोग राशि सीएसआर का इस दिशा में उपयोग किया जाये। प्लांट लगने से वायु एवं भूमि पर प्रदूषण होता है, फ्लाई एश का डम्प ठीक ढंग से किया जाना चाहिए। 5–10 कि0मी0 के क्षेत्र में सीएसआर की राशि का उपयोग किया जाना चाहिए। आसपास में वृक्षारोपण हेतु लाफार्ज द्वारा व्यवस्था किया जाना चाहिए। प्रभावित ग्राम में भी लाफार्ज के द्वारा चलाये जा रहे शिक्षण संस्थान के समान स्कूल खोलना चाहिए। अच्छी शिक्षा की व्यवस्था किया जाना चाहिए। स्वास्थ्य सुरक्षा का सभी ग्रामों में व्यवस्था किया जाये। जांजगीर–क्षेत्र में अपोलो जैसी स्वास्थ्य संस्था होनी चाहिए। क्योकि आसपास पॉवर प्लांट आने से अधिक बीमारी होगा। क्योकि प्रदूषण फैलने से बीमारी का उपचार हो सकें। पहले स्थापित प्लांट को फिर से लगाया जा रहा है। अतः आपत्ति नहीं होना चाहिए। कर्मचारियों के सुख सुविधा का भी ध्यान रखना चाहिए। यदि मजदूर जो ठेका श्रमिक है तो भी प्लांट उसका ध्यान रखा जाये। आसपास के लोगों को मकान बनाने हेतु 25 प्रतिशत छूट सीमेंट में मिलना चाहिए। जिससे सीमेंट फैक्ट्री का लाभ स्थानीय लोगों को मिले।

17. **श्री रघुवीर सिंह, ग्राम–बनाहिल–** पर्यावरण संबंधित कोई समस्या हो तो बताईये। मैं एक लाईन बोलना चाहूंगा कि ये बगल में केप्टिव पॉवर प्लांट हैं ये 51 प्रतिशत केप्टिव पॉवर प्लांट का है और 49 प्रतिशत लाफार्ज प्लांट का है। आपके सामने प्राथमिक शाला है जिसमें बच्चे बैठकर मध्यान्ह भोजन करते है उसमें केप्टिव पॉवर प्लांट द्वारा राखड़ डाल दिया गया है। क्या पर्यावरण अधिकारी इस समस्या का समाधान करेंगें। मैं पिछले 01 साल से इस समस्या का समाधान के लिए लगा हूं। क्या राखड़ से बच्चे के स्वास्थ्य पर प्रभाव नहीं पड़ता है। इसमें त्वरित कार्यवाही होनी चाहिए। ऐसी विसंगति अगर इन लोग करते है। तो सीमेंट प्लांट का विस्तार के लिए दूसरा संयंत्र नहीं लगना चाहिए। गली में, मोहल्ले में, स्कूल में, हास्पिटल में, सड़क में फ्लाई एश डाल दिया गया है 05 साल से विद्युत प्लांट चल रहा है इनको पर्यावरण की स्वीकृति किस आधार पर मिली है। क्या इनके पास स्थाई राखड़ डेम नहीं है। नहीं है तो

This document was created using Smart PDF Creator. To remove this message purchase the product at www.SmartPDFCreator.com

विद्युत प्लांट तत्काल बंद करें। लीज नंबर 03 में 45 किसान की जमीन गई है जिसमें 13 किसान को मुआवजा मिला है 32 किसान शेष है। कलेक्टर महोदय द्वारा स्पष्ट निर्देश है कि उन्हें स्थायी नौकरी दी जाये। सोनाडीह एवं लाफार्ज प्लांट में वेतन विसंगति है। सीएसआर में कमाई का 5 प्रतिशत विकास कार्य में खर्च होना चाहिए। पूर्व में जमीन जिनकी ली गई है। उन्हें नौकरी नहीं दी गई है यदि खानापूर्ति के लिए आये है तो मै इस प्लांट का विरोध करता हूं। प्लांट विस्तार से बिजली लगेगी, धूल उडेगा डस्ट उडेगा इसकी व्यवस्था की जाये। पर्यावरण के अधिकारी द्वारा यहां के स्थल का निरीक्षण करना चाहिए।

18. **श्री राघवेन्द्र कुमार व्यास, ग्राम–नरियरा–** विस्तार करने क्यों दे? आने वाले दिन में लोक सुनवाई हो तो पुस्तक को पंडाल में रखना चाहिए पेपर में छपवाने से ही नहीं होता, जिस दिन लोक सुनवाई होती है तो सुबह से पंडाल में पुस्तक को रखे विस्तार करने देंगे बहुत से शर्तों के साथ। प्लांट वाले लोकल आदमी को रोजगार दें। रोजगार, नौकरी का पूरे ग्राम पंचायत को पता चलना चाहिए न कि कलकत्ता मुख्यालय से भर्ती हो। स्थानीय नागरिक को ये जानकारी होनी चाहिए। इस क्षेत्र में सी. एस. आर. में बहुत काम करना है। जिला प्रशासन करेगा। उस क्षेत्र में आधा पैसा क्षेत्र के 10 कि.मी. में विकास कार्य होना चाहिए। हमारे क्षेत्र में रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क में विशेष ध्यान देना चाहिए। अमोरा ग्राम में जन सुनवाई हो रहा है इसके लिए धन्यवाद देता हूँ।

19. **श्री कमलेश कुमार पाटले,ग्राम–मुरलीडीह, सरपंच–** 10 कि.मी. के आसपास के क्षेत्र का सी.एस.आर. की राशि खर्च होना चाहिए। विकास कार्य का पैसा दूसरे क्षेत्र में जाने नहीं देंगे। आज तक रेल्वे लाईन वाले को कोई नौकरी नहीं दिया गया है। सबसे ज्यादा जमीन हमारे गांव से निकला है नौकरी दिया जाये।

20. **श्री संतोष कुमार पाटले, ग्राम–नरियरा–** केप्टिव पॉवर प्लांट के बारे में बोलना है। जो लाफार्ज का ही है। पॉवर प्लांट में केन्टीन की व्यवस्था की जाये। शिक्षा, स्वास्थ्य का विशेष ध्यान दिया जाये। लाफार्ज चिकित्सालय में हमें क्यों सुविधा नहीं दी जाती है प्लांट की एप्रोच रोड खराब हो गई है उसका सुधार किया

This document was created using Smart PDF Creator
To remove this message purchase the product at www.smartPDFcreator.com

जाये। स्थानीय को रोजगार दिया जाये। बाईपास रोड का चौड़ीकरण किया जाये।

21. **श्री ललित दुबे, ग्राम–अमोरा–** मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

22. **श्री रघुवीर दुबे, ग्राम–अमोरा–** मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

23. **श्री जितेन्द्र सिंग सिसोदिया, ग्राम–परसदा –** मै ये जानना चाहता हूँ कि ग्राम – अरसमेटा, सोनसरी, और परसदा के लोग क्यों नहीं आये हैं। ये जन सुनवाई उसी जगह किया जाता है। जिस जगह कंपनी को समर्थन मिलता है। इस जन सुनवाई में ये सिर्फ एक फार्मेल्टी पूरी की जा रही है। यहां पर पूर्व में लाफार्ज सीमेंट जो रेमण्ड सीमेंट कंपनी हुआ करता था। तो वहां 700–750 लोग काम करते थे। आज इनकी संख्या 250 रह गई है क्यो? लाफार्ज द्वारा यहां छत्तीसगढ़ कें अंदर क्या किया है जिसे हम दिखा सके। जहां प्लांट लगता है वहां के लोगों सुविधा दी जाये, नहर का मरम्मत कराया जाये। लॉफार्ज किनारे –किनारे में पेड़–पौधे लगाया है। खुली जगह में भी पेड़ लगाया जाये और उसका विशेष ध्यान रखे।

24. **श्री रामानंद, ग्राम–कोनारगढ़–** रबी फसल दे देते है तो जानवर खा जाते है तो पर्यावरण कहां से बचेगा। फैक्ट्री वाले कोशिश करते है आप लोंग क्यों नहीं करते। फैक्ट्री लगना चाहिए इससे हमको कोई आपत्ति नहीं है। फैक्ट्री अधिक से अधिक पेड़ लगाये। इससे हमारा विकास हो रहा है।

25. **श्री मनोहर प्रसाद दुबे, ग्राम–अमोरा–** प्लांट विस्तार हमारे लिए अच्छा है स्थानीय लोगों को नौकरी दिया जाये। प्लांट से जो भी नुकसान हो रहा है उसकी नौकरी से भरपाई करें। इसके लिए मेरा समर्थन है।

26. **श्री राम लाल साहू, ग्राम–अमोरा–** 22 साल लाफार्ज में काम करने के बाद यहां से व्हीआरएस लेकर बैठा हूं। आज यहां पर जन सुनवाई हो रहा है। जिस जमीन पर हम बैठें हैं वह गोठान है जो पवित्र जगह है और पर्यावरण संबंधित विषय में कहना चाहता हूँ कि प्लांट लगती है तो पर्यावरण प्रदूषित होगा। प्लांट लगाने में हमारा कोई आपत्ति नहीं है। लाफार्ज आस पास के लोगों को रोजगार दे, पर्यावरण प्रदूषण की रोकथाम के लिए आसपास के क्षेत्र में पेड़ लगाईये। ग्राम

This document was created using Smart PDF Creator. To remove this message purchase the product at www.smartPDFCreator.com

अमोरा को लाफार्ज ने गोद लिया है। जिसकी देखभाल लाफार्ज कंपनी किया जाये। आसपास के गांव के विद्यार्थी है उनको ट्रेनिंग के माध्यम से नौकरी दिलवाईये और आसपास के क्षेत्र में पर्यावरण को बचाने के लिए पेड़ लगवाईये । पानी को प्रदूषण से बचाना चाहिए। तथा पर्यावरण का संरक्षण पर विशेष ध्यान दें।

27. **श्री सत्यदेव शर्मा, ग्राम–अमोरा –** इस प्लांट के विस्तार से कोई आपत्ति नहीं है।

28. **श्री सनत तिवारी, ग्राम– अमोरा–** यहां पर जन सुनवाई आयोजित कर हम लोगों का मान बढाया है। जिस क्षेत्र में फैक्ट्री लगता है उस क्षेत्र का विकास होता है। जैसे शिक्षा, सड़क, खानपान, रहनसहन एवं बोलचाल में प्रगति एवं विकास होता है। इस फैक्ट्री द्वारा हमारे गांव में कांक्रीट रोड का निर्माण किया गया है। लाफार्ज कंपनी को ग्रामीण द्वारा किसी भी प्रकार नुकसान नहीं किया गया है। इस क्षेत्र में एक कमेटी बनाया जाये जिसमें फैक्ट्री प्रबंधन, सरपंच, विधायक, स्थानीय लोग हो, क्षमता विस्तार में आपको और कामगार की जरूरत होती है तो यहां के स्थानीय लोगों को नौकरी दिया जाये। कंपनी से ग्राम में 75 प्रतिशत लोग आश्रित हैं। कई बच्चे उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते ऐसे बच्चे को आर्थिक सहयोग प्रदान किया जाये। मैं यह कहना चाहूंगा कि क्षेत्र के छात्र एवं छात्राओं को उच्च शिक्षा के लिए पढ़ाया जाये।

29. **श्री महेश कुमार कर्ष, ग्राम–नरियरा–** पर्यावरण के अधिकारियों द्वारा जो सुझाव दिया जाता है उस पर उद्योग द्वारा ध्यान नहीं दिया जाता। यहां से हमारे गांव नरियरा 9 कि.मी. की दूरी पर है। जिसका विकास के लिए कोई कार्य नही किया गया है। यहां के लोग 36 साल से डस्ट खा रहे है। अतः आम आदमी को भी सुविधा देना चाहिए। प्लांट का विरोध नहीं करना चाहते जिस मंशा से क्षेत्र में प्लांट लगता है क्षेत्र की विकास की सुख–सुविधा बढ़ना चाहिए। प्लांट खोलने के पहले आश्वासन दिया जाता है। बाद कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। क्षेत्र के लोग भटकते रहते हैं क्षेत्र के लोगों को काम नहीं दिया जा रहा है। लोगों को घुमाया जाता हैं। नरियरा भी इस क्षेत्र में आता है। उसमें भी ध्यान नहीं दिया

This document was created using Smart PDF Creator. To remove this message purchase the product at www.SmartPDFCreator.com

जाता है। डस्ट को भी देने के लिए भी कतराते है। हम लोंगों के हित का भी ध्यान रखें।

30. **श्री नंदकुमार सिंह, ग्राम–सोनसरी–** लाफार्ज में 22 वर्ष से काम कर चुका हूं। इस कंपनी में जिस गांव की जमीन प्रभावित नहीं है उस गांव के लोग भी कार्य कर रहे है। जिसकी जमीन निकली है उनके 3–3 सदस्य इस कंपनी में कार्यरत है। लाफार्ज कंपनी द्वारा विस्तार के लिए गांव का समग्र विकास के लिए कार्य किया है। लाफार्ज कंपनी चहुमुखी विकास किया है। सुधार और बढ़ोतरी कर रही है। क्षमता विस्तार का समर्थन करता हूॅ। क्षेत्रीय लोगों के लिए विकास द्वार खोले ।

31. **श्री जगदीश दुबे, ग्राम–अमोरा–** मैं जब 7 साल का था उस समय जब प्लांट जब शुरू हुआ। यहां से हम लोग पैदल नरियरा जाते थे। उस स्थिति से हम लोग गुजरे है। आज हमारे 44 वर्ष उमर में हम यह सीखा है कि लाफार्ज के स्कूल से आस पास के बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर बन रहे है। गांव का भी विकास हो रहा है। क्षमता विस्तार परियोजना से गांव का विस्तार होगा, इससे कोई नुकसान नहीं है। हमारे आने वाले पीढी को लाभ मिलेगा। मैं इसका समर्थन करता हूॅ।

32. **श्री मनोज सिंह चंदेल, ग्राम–रिस्दा –**प्लांट के विस्तार का समर्थन करता हूॅ। हमारे यहां भी सी.एस.आर. की राशि विकास कार्य में लगाया जाये। स्थानीय लोगों को रोजगार मिले।

33. **श्री दीपक कुमार सिंग, ग्राम–अकलतरा–** पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। आसपास के गांव में नुक्कड़ नाटक के माध्यम से पर्यावरण के प्रति जागरूकता फैलाते है। कंपनी द्वारा प्रदूषण नियंत्रण हेतु बैग फिल्टर लगाये गये है। समय समय पर मॉनिटरिंग के लिए बाहर से लोग बुलाए जाते है। कंपनी के क्षमता विस्तार का समर्थन करता हूॅ।

34. **श्री प्रेम राम साहू, ग्राम–सोनसरी–** लाफार्ज प्लांट में ईएसपी का विस्तार कर बैग फिल्टर लगाया गया है। पर्यावरण की दृष्टि से वायु प्रदूषण कम है। बड़ी सौभाग्य की बात आज विस्तार कर पुनः लगाया जा रहा है। बहुत लंबी समय

के बाद इस विस्तार को ध्यान में लाया गया है। मेरा आग्रह है कि कितने एम्पलाईस लगेगा, इसकी जानकारी के साथ प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से लोगो को फायदा मिलेगा। प्लांट विस्तार का समर्थन करता हूँ।

35. **श्रीमती अर्चना गोस्वामी, जनप्रतिनिधि–** लाफार्ज कंपनी के द्वारा चलाये जा रहे ग्रामीण विकास कार्यों की प्रशंसा करती हूं। यहां शिक्षा, चिकित्सा, सड़क का निर्माण आस पास के गांव के लोगों को रोजगार मुहैया कराये साथ ही चलाये जा रहे योजना के लिए आम नागरिक एवं जन प्रतिनिधि से निवेदन करती हूँ कि मेरे पति प्लांट में काम करते थे। काम के दौरान ही मृत्यु हुई है अतः मुझे पेंशन दिलाये।

अपर कलेक्टर श्री एम. डी. दीवान, जिला–जांजगीर–चांपा द्वारा जन सामान्य को अवगत कराया गया कि लोक सुनवाई के पूर्व निर्धारित अवधि में क्षेत्रीय कार्यालय छ0.ग0 पर्यावरण संरक्षण मंडल को प्रस्तावित क्षमता विस्तार के संबंध में आवेदन **88** एवं लोक सुनवाई के दौरान **115** कुल **203** आवेदन प्राप्त हुये है। सम्पूर्ण लोक सुनवाई कार्यक्रम की विडियोग्राफी/फोटोग्राफी कराई गई है। लोक सुनवाई के दौरान लगभग **450** जनसामान्य की उपस्थिति रही, जिसमें से **35** व्यक्तियों द्वारा प्रस्तावित क्षमता विस्तार स्थापना के संबंध में मौखिक रूप से सुझाव/विचार एवं आपत्तियां व्यक्त की गई है। जन सुनवाई के दौरान उपस्थित जन समुदाय मे से **155** लोगो द्वारा अपनी उपस्थिति, लोक सुनवाई उपस्थिति पत्रक में दर्ज कराई है।

दिनांक 30.11.2012 को लोक सुनवाई कार्यक्रम के समापन पर अपर कलेक्टर, जिला–जांजगीर–चांपा द्वारा उपस्थित जन समुदाय, उद्योग प्रबंधन, जनप्रतिनिधि तथा मीडिया को लोक सुनवाई में उपस्थित होने एवं आवश्यक सहयोग देने के लिए धन्यवाद ज्ञापित करते हुए लोक सुनवाई की कार्यवाही को समाप्त करने की घोषणा की गई।

(बी.एस.ठाकुर)
क्षेत्रीय अधिकारी,
छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल
बिलासपुर (छ.ग.)

(एम0 डी0 दीवान)
अपर कलेक्टर,
जिला जांजगीर–चांपा (छ.ग.)

This document was created using Smart PDF Creator
To remove this message purchase the product at www.smartPDFcreator.com